हिमाचल प्रदेश सरकार
भाषा कला एवं संस्कृति विभाग

संख्याः एल0सी0डी0.–ए (3)–5/2007 तारीख शिमला–2, 2–5–2011.

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, भाषा कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, में अनुरक्षण सहायक, वर्ग–111 (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना सं संलग्न उपाबन्ध–'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, अनुरक्षण सहायक, वर्ग–111 (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

निरसन और व्यावृत्तियां । 2 (1) अधिसूचना संख्याः एल0सी0डी0–ए(3)15/95 तारीख 30 अप्रैल , 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, अनुरक्षण सहायक वर्ग–111 (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद द्वारा निरसन किया जाता है ।

(2) परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी उपरोक्त उप–नियम 2(1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,

मनीषा नंदा
प्रधान सचिव (भाषा,कला एवं संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृ0 संख्याःएल0सी0डी0.—ए(3)—5/2007 दिनांक शिमला—2 2—5—2011.
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
2. महालेखाकार (आडिट) हिमाचल प्रदेश, शिमला—3
3. निदेशक (भाषा—संस्कृति) हिमाचल प्रदेश, शिमला—9.
4. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि0 प्र0 शिमला—5 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश(असाधारण) में प्रकाशित करने हेतु ।
5. वित्त विभाग (वित्त विनिमय) हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला—2.
6. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
7. वरिष्ठ विधि अधिकारी,—1 (राजभाषा) विधि विभाग,हि0 प्र0 सचिवालय, शिमला—2 ।
8. संरक्षण नस्ति ।

उप सचिव (भाषा कला एवं संस्कृति)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

उपाबन्ध–'क'

भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश में अनुरक्षण सहायक वर्ग–।।। (अराजपत्रित) पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम :

1	पद का नाम :	अनुरक्षण सहायक
2	पदों की सख्या :	5 (पांच)
3	वर्गीकरणः	वर्ग –III (अराजपत्रित)
4	वेतनमानः	i) नियमित पदाधारियों के लिए वेतनमानः 10300–34800रूपये +3800 रूपये ग्रेड पे ii) संविदा कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : रूपये 14100/– स्तम्भ संख्याः15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार ।
5	चयन पद अथवा अचयनः	अचयन।
6	सीधी भर्ती के लिए आयु :	18 से 45 वर्ष : परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए उपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा पर नियुक्त किए गए पहले से सरकार की सेवा में रत व्यक्तियों सहित अभ्यार्थियों को लागू नहीं होगी। परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यार्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु को हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविधा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा : परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञय है ; परन्तु यह और कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी, जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारी वृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सैक्टर निगमों/स्वायत

		निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात निगमों /स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं/किए गये थे। (1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी, जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमंन्त्रित करने के लिए यथा स्थिति विज्ञापित किया जाता है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया जाता है। (2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यार्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।
7	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं :	**(क) अनिवार्य अहर्ता :–** 1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्था से आधुनिक भारतीय इतिहास के रूप में एक पेपर इतिहास विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर । **(ख) वांछनीय अर्हताएं :–** 1) राष्ट्रीय अभिलेखागार या अन्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से अभिलेख प्रबन्धन में प्रमाण पत्र । 2) हिमाचल प्रदेश की रूढियों रितियों और बोलियों का ज्ञान तथा प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।
8	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नही :	आयु : लागू नहीं । शैक्षिक योग्यताः लागू नहीं ।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो :	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे ।
10	भर्ती की पद्धति– भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता :	1) 75% सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर अथवा संविधा के आधार पर भर्ती द्वारा । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी स्तम्भ संख्या 15–क में दी गई उपलिब्धियों को प्राप्त करेंगे और उक्त स्तम्भ में दर्शाई गई सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे । 2) 25% प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर अथवा संविदा के आधार पर ।

11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण किया जाएगाः	जिल्दसाज/मेंडर में से जो दसवीं पास हों और जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई तदर्थ सेवा सहित दस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा यथास्थिति नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा : परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में प्रर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी : परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक, उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष हो : परन्तु यह और कि उन अधिकारियों/ कर्मचारियों को, जिन्होनें जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरित किया जाएगा । **<u>स्पष्टीकरण-I :–</u>** उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी । **<u>स्पष्टीकरण-II :–</u>** उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :– 1. जिला लाहौल एवं स्पिति । 2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल । 3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र । 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीश दरकाली और ग्राम पंचायत काशापट । 5. कुन्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना । 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र । 7. जिला किन्नौर । 8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमराउ के काठवाड़ आक्र कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलौना और सांगना पटवार

		वृत्त और शिलाई तहसील के कोटा पाब पटवार वृत्त । 9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगड़ा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गौसाई, मठयानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा,कथोग, सिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड आक्र भरेढ़ पटवार वृत्त, थुनांग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच – बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और जिला मण्डी की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त । 1. प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी : (i) परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय सभी कनिष्ठ व्यक्तियों से ऊपर रखे जाएंगे : परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की जिनपर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, कम से कम तीन वर्ष न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी: परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उसमें उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएगें । **<u>स्पष्टीकरण :</u>** अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र

		व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबलाईजड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वकैंसिज इन हिमाचल स्टेन नॉन टेक्निकल सर्विसिज) रूल्ज 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्ससर्विस मैन (रिजर्वेशन ऑफवकैंसिज इन हिमाचल स्टेन नॉन टेक्निकल सर्विसिज)रूल्ज, 1985 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो वह इसके अन्तर्गत वरीयता का लाभ दिया गया हो । (2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की गई तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी यदि संभरक पद पर तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, सम्बन्धित पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम के अनुसार चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया अपनाकर की गई हो : परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।
12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, उसकी संरचना	जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित हो ।
13	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।
14	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग /अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15–क	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन :	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

		(I)	**संकल्पनाः**
		क)	इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अनुरक्षण सहायक को संविदा के आधार पर, प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा : परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है, और केवल तभी उसकी संविद की अवधि में विस्तार/नवीकरण किया जाएगा।
		ख)	**पद का हि0प्र0 अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आनाः–** निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अध्यपेक्षा को भर्ती अभिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड,हमीरपुर के समक्ष रखेगा।
		ग)	चयन, इन नियमों में यथाविहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
		(II)	**संविदात्मक उपलब्धियां :** संविदा के आधार पर नियुक्त अनुरक्षण सहायक को 14100/–रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक का विस्तार किया जाता है, तो पश्चातवर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 430/–रूपए की रकम (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।
		(III)	**नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी :** निदेशक, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारी होगा।
		(IV)	**चयन प्रक्रिया :** संविदा पर नियुक्ति के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, जो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा,

		जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि यथा स्थिति भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा। (V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति :** जैसी सम्बन्द्ध भर्ती प्राधिकरण अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए। (VI) **करार :** अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबधं–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा । (VII) **निबन्धन और शर्तें :** क) संविदा के आधार पर नियुक्त अनुरक्षण सहायक को 14100/–रूपए की नियत संविदाम्क रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति विस्तारित वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 430/–रूपए (पद के पे बैण्ड जमा ग्रेड पे के न्यूनतम का तीन प्रतिशत) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा। (ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आरचरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी। (ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अवकाश यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा। (घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्तव्य (डियूटि) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (डियूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा। (ड़) संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण

		कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो : आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा। (च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी /रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण पत्र (फिटनैस सर्टीफिकेट) प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में 12 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी रूप से अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्ता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा। (छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी पदधारी कर्मचारी को लागू है, वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी। (ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबन्ध, जैसे एफ.आर.एस.आर. अवकाश नियम, सामान्य भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम और आचरण नियम आदि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। वे इस स्तम्भ में दी गई उपलब्धियों इत्यादि के हकदार होंगे।
16	आरक्षण :	उक्त सेवा में नियुक्ति हिमाचल सरकार द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुचित जनजातियों /पिछड़े वर्गों और प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण के बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षा :	लागू नहीं ।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह करणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग की बाबत शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध ''ख''

अनुरक्षण सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, भाषा एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाले संविदा/करार का प्रारूप।

यह करार श्री/श्रीमति...पुत्र /पुत्री श्री..निवासी ....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्रथम पक्षकार' कहा गया है), और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक, भाषा एवं संस्कृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'द्वितीय पक्षकार' कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख ....को किया गया।

'द्वितीय पक्षकार' ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लागाया है और प्रथम प्रथम पक्षकार ने अनुरक्षण सहायक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः—

1 यह कि प्रथम पक्षकार ने अनुरक्षण सहायक के रूप में........................से प्रारम्भ होने और.......................को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि संविदा स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

परन्तु वर्षानुवर्ष के आधार पर संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण के लिए समम्ब्द्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण—पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण, वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि में विस्तारण/नवीकरण किया जाएगा।

2 प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम.........................रूपए प्रतिमास होगी।

3 प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरूद्ध नियुक्त/तैनात कर दिया जाता है, जिसके लिए प्रथम पक्षकार को संविदा पर लगाया गया है, तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

4 संविदा पर नियुक्त अनुरक्षण सहायक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त अनुरक्षण सहायक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल०टी०सी०इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी। केवल प्रसूति अवकाश, नियमानुसार दिया जाएगा।

5 नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त अनुरक्षण सहायक कर्त्तव्य (डियूटि) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

6 संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिसने तैनाती के एक स्थान पर पांच वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरण हेतु पात्र होगा ।

7 चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/ होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नही होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।
साक्षियों की उपस्थिति में :–

1 ....
....

(नाम व पूरा पता)

2 ....
....
....
(नाम व पूरा पता) (प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में

1 ....
....
....
(नाम व पूरा पता)

2 ....
....
....
(नाम व पूरा पता) (द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———

(Authoritative English Text of this Deparment Notification No. LCD-A(3)-5/2007 dt. 2-5-2011 required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Government of Himachal Pradesh
Department of Language Art and Culture

No. LCD-A(3)-5/2007 Dated: Shimla-171002, the 2-5-2011.

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules, for the post of Preservation Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Language, Art and Culture, Himachal Pradesh, as per Annexure-"A" attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement	1	(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh, Department of Language, Art and Culture, Preservation Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2011.
		(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Repeal and Savings	2	(1)	The Himachal Pradesh, Department of Language, Art and Culture, Preservation Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 1997 notified vide notification No. LCD-A(3)15/95 dated 30-04-1997 are hereby repealed.
		(2)	Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed vide sub rule 2(1) supra, shall be deemed to have been validity made, done or taken under these rules.

By Order

Manisha Nanda
Principal Secretary (LAC) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. LCD-A(3)-5/2007 Dated: Shimla-171002, 2-5-2011.
Copy forwarded to:-

1. All Administrative Secretaries to the Govt. of Himachal Pradesh.
2. Secretary, H.P. Public Service Commission, Shimla-2, with reference to letter.
3. Director, LAC, Himachal Pradesh.
4. The Controller, P&S, Himachal Pradesh for favour of Publication in the Rajpatra.
5. ALR-cum-Deputy Secretary (Law), H.P. Sectt, Shimla-2.
6. 100 spare copies.

Deputy Secretary (LAC) to the
Government of Himachal Pradesh.

Annexure-A

Recruitment and Promotion Rules for the Post of Preservation Assistant, Class –III, (Non- Gazetted) in the Department of Language,Art & Culture, H.P.

1	Name of the Post:		Preservation Assistant,
2.	Number of Post		05(five)
3.	Classification		Class-III (Non-Gazetted)
4.	Scale of Pay		i) Pay scale for regular incumbents: ₹. 10300-34800+3800 Grade Pay ii) Emoluments for Contract Employees:- ₹. 14100/- as per details given in Col. No. 15-A.
5.	Whether selection post or Non selection post		Non-Selection
6.	Age for direct recruitment		Between 18 and 45 years. Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidate already in service of the Government including those who have been appointed on ad hoc or on contract basis: Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he/she was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his/her such ad hoc or contract appointment: Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Caste/Scheduled Tribes /Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order of the Himachal Pradesh Government: Provided further that employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government Servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitution of such Corporation / Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however,

			be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous bodies who are/were subsequently appointed by such Corporations/Autonomous bodies finally observed in the service of such Corporations/Autonomous bodies after initial constitution of the Public Sector Corporation/Autonomous Bodies. Note:- (I) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange or as the case may be. (2) Age and experience in the case of direct recruitment is relaxable at the discretion of the recruitment authority in case the candidate is otherwise well qualified.
7	Minimum Educational and other Qualifications required for direct recruits:		1. <u>Essential Qualifications:-</u> B.Sc with Chemistry from a recognized Institution/University. 2. <u>Desirable Qualifications:</u> i) Certificate in cultural preservation or one year experience in cultural preservation. ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the State.
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees;		Age: Not applicable Educational Qualifications: Not applicable
9.	Period of Probation, if any		Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be record in writing.
10.	Method or recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of vacancies to be filled in by various methods.		i) 75% by direct recruitment on a regular basis or by direct recruitment on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as prescribed in the said column. (ii) 25% by promotion failing which by direct

			recruitment on a regular basis or by direct recruitment on contract basis.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made		By promotion from amongst the Binder/Mender who are Matriculate and possess ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service in the grade failing which by direct recruitment on a regular basis or by recruitment on contract basis as the case may be: Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at-least one term in Tribal/Difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas: Provided further that the proviso (1) supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less services, left for superannuation: Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult areas shall be transferred to such, areas strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre. **Explanation-I** : For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee. **Explanation-II** : For the purpose of proviso I supra the Tribal/ Difficult Areas shall be as under:- 1. District Lahaul & Spiti. 2. Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba Division. 3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division. 4. Pandrah Bis Pargana Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of Distt. Shimla. 5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District. 6. Bara Bhangal area of Baijnath Sub-Division of Kangra District. 7. Distt. Kinnaur. 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil in Sirmour District. 9. Khanyoi-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil Gada Gussani, Mathyani, Ghanyar,

			Thachi Baggi, Somgad and Kholanal of Bali-Chowki Sub-Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Tralla, Ropa, Kathog Silh Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil Chinul, Kalipur, Mangarh, Thach-Bagra, Nrthe magru and South Magru patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District. 1. In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/ promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules, provided that (i) In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above, all persons senior to him in the respective category/post/cadre shall deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration: Provided that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the recruitment and promotions rules for the post, whichever is less: Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion. **<u>Explanation:</u>** The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule 3 of

			Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions Rule-3 of Ex-servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical Service) Rules,1985 and having been given the benefit of Seniority there under. (2) Similarly, in all cases of confirmation continuous ad hoc Service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/ promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of the R&P Rules: Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.
12	If a Departmental promotion committee exists, what is its composition?		As may be constituted by the Government from time to time.
13	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment.		As required under the Law.
14	Essential requirement for a direct recruitment		A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15	Selection for appointment to post by direct recruitment.		Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of viva-voce test if the **H.P. SUBORDINATE SERVICE SELECTION BOARD, HAMIRPUR** or other recruiting authority, as the case may be, so consider necessary or expedient by a written test or practical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the cncerned recruiting authority, as the case may be.
15.A	Selection for appointment to the post by contract appointment		Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:- **(I) Concept :** (a) Under this policy the Preservation Assistant in the Department of Language, Art and Culture,

			H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extended on year to year basis: Provided that for extension/ renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his/her period of contract is to be renewed/extended. (b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB: -** The Director, Language,Art and Culture Deptt. after obtaining the approval of the government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur. (c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Rules. **(II) <u>CONTRACTUAL EMOLUMENTS:-</u>** The .Preservation Assistant appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.14100/- P.M. (which shall be equal to minimum of pay band + grade pay). An amount of Rs. 430/- (3% of the minimum of pay band +grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent years will be allowed if contract is extended beyond one year. **(III)<u>APPOINTING/DISCIPLINARY AUTHORITY:</u>** Director, Language, Art and Culture will be appointing and disciplinary authority. **(IV)<u>SELECTION PROCESS:</u>** Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-vice test or if consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency .i.e. H.P. Subordinate Service Selection Board, Hamirpur. **(V)<u>COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:</u>** As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. **<u>H.P. SUBORDINATE SERVICE SELECTION BOARD, HAMIRPUR</u>** from time to time.

			(VI) <u>AGREEMENT:</u> After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure "B" appended to these Rules. **(VII) <u>TERMS AND CONDITIONS:</u>** (a) The Preservation Assistant appointed on contract basis will be paid fixed contractual amount i.e.Rs.14100/- P.M. (which shall be equal to minimum of pay band+ grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs.430/- (3% of the minimum of pay band+ grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior selection scales etc. will be given. (b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory. (c) Contract Appointee will be entitled for one-day casual leave after putting one-month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules. (d) Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty. (e) An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds. (f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government. / Registered medical Practitioner. Women candidates pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer / Practitioner. (g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as are applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale. (h) Provision of service rules like FR SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension & Conduct rules etc. as are applicable in case of regular

			employees will not be applicable in case of Contract Appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16	Reservation	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled casts/Scheduled Tribes/ Other Backward classes/ other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17	Departmental examination	Not applicable
18	Power to relax	Where the State Govt. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with H.P.P.S.C. relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

Annexure-"B"

FORM OF CONTRACT/ AGREEMENT TO BE EXECUTED BETWEEN THE PRESERVATION ASSISTANT AND THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH THROUGH DIRECTOR LANGUAGE, ART & CULTURE DEPARTMENT

This agreement is made on this .... day of .... in the year .... between Sh./Smt .... S/o/D/o Shri..r/o.. ....Contract appointee (Here-in-after called the FIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director , Language, Art & Culture, Himachal Pradesh (here -in-after called the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Preservation Assistant on contract basis on the following terms & conditions:-

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Preservation Assistant for a period of one year commencing on day of ………………………………. and ending on the day of………………………………. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the ………………FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on --------------------And information notice shall not be necessary.

   Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract is to be renewed/ extended.
2. The contractual amount of The FIRST PARTY will Rs. .... per month.
3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good or if a regular incumbent is appointed /posted against the vacancy for which the first party was engaged on contract.
4. Contractual Preservation Assistant will be entitled for one day casual leave after putting in one month service. This leave can be accumulated up to one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Preservation Assistant. He/She will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc.

   Only maternity leave will be given as per Rules.
5. Unauthorized absence from duty without approval of the Controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Preservation Assistant. Appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.
6. An official appointed on contract basis who have completed five years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government. / Registered medical Practitioner. In case of women candidates pregnant beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/Practitioner.

8. Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.
9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF and GPF will not be applicable to contractual appointee(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first above written.

IN THE PRESENCE OF WITNEES
1 ....
....
....
(Name and full address)
2 ....
....
....

Signature of the First Party

IN THE PRESENCE OF WITNEES
1 ....
....
....
(Name and full address)
2 ....
....
....

Signature of the Second Party